... पत्रावली ... किया जिसे शामिल
नियत दिनांक 11-9.25 को पेश हो।

11/9/25 वकुलाय फरीकेन उपस्थित।
पत्रावली आयन्दा वास्ते बहस प्रो.पत्र
दिनांक 3/11/25 को पेश हो

सहायक कलक्टर, बीकानेर शहर

06/10/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित।
(वकुलाए फरीकेन के निवेदन पर)

उभयपक्ष द्वारा वादपत्र, राजीनामा में अंकित कथनों को बहस में दोहराते हुए वाद मुताबिक राजीनामा

भावी

डिक्री किया जाकर दानपत्र दिनांक 13.06.2025 को शून्य घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया।
वादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RBJ 2002 Raj HC - 468, AIR 2012 Patna HC - 45, 1992 CCC - 0511 AP H.C. पेश किए।

हमने पत्रावली, राजीनामा व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन किया व बहस का विधि के परिप्रेक्ष्य में मनन किया।

हमारी राय में विधि का यह सुस्थापित मत है कि "कृषि अभिधृतियों के संबंध में अधिकारिता वाद हेतुक पर आधारित होगी व न्यायालय को यह देखना होगा कि वास्तविक/तात्विक/मुख्य अनुतोष यदि खातेदारी अधिकारों या कब्जे की घोषणा का हो तो रजिस्टर्ड दस्तावेजों के रद्दकरण का आदेश आनुषंगिक अनुतोष के रूप में राजस्व न्यायालय द्वारा दिया जा सकेगा क्योंकि आनुषंगिक अनुतोष महत्वपूर्ण नहीं है। इस सम्पूर्ण विवेचना में न्यायालय द्वारा वाद हेतुक के निर्धारण हेतु वादपत्र के कथनों का सारतत्व (पिथ एण्ड सबस्टेंस) देखा जाएगा।"

हस्तगत प्रकरण में वादपत्र का सारतत्व (पिथ एण्ड सबस्टेंस) रजिस्टर्ड दस्तावेजों को रद्द करवाया जाना है ना कि वादग्रस्त भूमि में अपने हक - हिस्से या अधिकारों की घोषणा चाही गई है। हमारी राय में इस प्रकार पंजीबद्ध दस्तावेज के रद्दकरण का मुख्य अनुतोष प्रदान किये जाने की

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय को ना प्राप्त होकर सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इस प्रकार प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हमारे विनम्र मत में हस्तगत प्रकरण पर लागू नही होते है। अत: वाद वादी में चाहा गया अनुतोष सक्षम सिवील न्यायालय मे पोषणीय होने के विवेचना के साथ वाद वादी खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 06/10/2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	